कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा,
जिला—कोरबा (छ0ग0)

क्रमांक / ऑ.ला.पो.मै.छात्र. / विविध / 2022—23 / 2537 **कोरबा दिनांक** 19/7/2022

प्रति,

सर्व प्राचार्य,

शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, कृषि, आई.टी.आई, डाईट, पॉलिटेक्निक, आई.टी., सीपेट

जिला—कोरबा, (छ0ग0)

विषय :— पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के संबंध में।

संदर्भ :— 01. महालेखाकार (ऑडिट), रायपुर छ0ग0 का मेमो क्रमांक—27 दिनांक 30.10.2021।

02. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक / पो.मै.छा. / 101 / 2022—23 / 3090 दिनांक 04.07.2022

———000———

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित मेमों के माध्यम से छ0ग0 राज्य के आवेदक जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑनलाईन या ऑफलाईन के माध्यम से करते है, जिसमें कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने हेतु महालेखाकार द्वारा सुझाव दिये गये है, जो निम्नानुसार है :—

01. आवेदक द्वारा भरे गये ऑनलाईन / ऑफलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी (Printed Form) संस्था में जमा किया जाना अनिवार्य है।
02. एक पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन के हार्ड कॉपी में चस्पा कर क्रौस सिग्नेचर होना अनिवार्य है।
03. 10वी / 12वी / पिछली कक्षा उत्तीर्ण Certificate, Diploma, Degree इत्यादि के छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है।
04. जाति प्रमाण पत्र स्थायी (अस्थायी की स्थिति में जीवित होना चाहिए) अनुविभागीय अधिकारी (रा0) / तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए।
05. स्व—नियोजित माता—पिता / अभिभावक द्वारा एक आय घोषणा, गैर—न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामे के माध्यम से सभी स्त्रोतों से निश्चित आय बताते हुए। नियोजित माता / पिता / अभिभावक को अपने नियोक्ता से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है और अन्य स्त्रोतों से किसी भी अतिरिक्त आय के लिए, वे गैर—न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र के माध्यम से घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

अतः पूर्व वर्षों की प्रक्रिया के साथ—साथ उपरोक्त सुझावों का भी पालन करना सुनिश्चित करें।

19/7/22

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरबा